राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 15(10)राज/वाद/22 जयपुर, दिनांक 04/7/25

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक प0 07(11)राज/वाद/24 जयपुर दिनांक 15.10.2024 के द्वारा महाधिवक्ता राजस्थान, अतिरिक्त महाधिवक्तागण, राजकीय अधिवक्तागण एवं गवर्नमेंट काउन्सिल्स, जोधपुर/जयपुर को स्वीकृत लिपिकीय भत्ते की राशि संशोधित की गयी थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 7990/2022, राजस्थान राज्य बनाम हरिमोहन मीणा व अन्य तथा अन्य संबद्ध प्रकरण (विशेष अनुमति याचिका संख्या 8142–8145/2022 राजस्थान राज्य बनाम हजारी लाल शर्मा व अन्य, 8148/2022 राजस्थान राज्य बनाम राजेन्द्र सैनी व अन्य तथा 8233/2022 राजस्थान राज्य बनाम योगेन्द्र कन्नौजिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.12.24 की पालना में उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं से संबंधित कार्यरत विपक्षीगण/याचिकाकर्ताओं को, जिस पद का उनसे कार्य लिया जा रहा है, उस पद के नियमित वेतन का न्यूनतम वेतन का भुगतान/संबंधित विधि अधिकारी को पुनर्भरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त याचिकाओं से संबंधित कार्यरत कार्मिकों को दी जाने वाली राशि का भुगतान पूर्वानुसार महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत 04 च0श्रे0 कर्मचारियों (सर्वश्री हजारी लाल शर्मा, बेरिसाल सिंह, बाबूलाल लोट व श्रीमती शशिकला तिवारी) व अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय जोधपुर में कार्यरत 04 कार्मिकों (सर्व श्री योगेन्द्र कन्नोजिया, अमित कुमार दवे, भवानी सिंह व नटवर दैया) को उनके बैंक खाते के माध्यम से तथा शेष लिपिकीय भत्ते पर कार्यरत कार्मिकों का भुगतान संबंधित विधि अधिकारी के माध्यम से किया जावेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 102500452, दिनांक 04.07.25 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की गयी है।

ह0
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर।
4. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर।
5. गवर्नमेंट काउंसिल्स, जोधपुर/जयपुर।
6. उप शासन सचिव, वित्त(नियम) विभाग।
7. कोषाधिकारी, जोधपुर/शासन सचिवालय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली ।

04/7/25
(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि

Scanned with AltaScanner